

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0026**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

02/07/2025 20:01 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Wednesday**Date from (दिनांक से):**

02/07/2025

Date To (दिनांक तक):

02/07/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar
6**Time From (समय से):** 18:00
hrs**Time To (समय तक):** 18:00
hrs(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):****Date (दिनांक):**
02/07/2025**Time (समय):** 19:30
hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 023**Date and Time (दिनांक और समय):**
02/07/2025 19:43
hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 70 Km **Beat No. (बीट सं.):**
(s)(b) **Address (पता):** पुलिस चौकी आकेडा जिला नुहँ,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**(a) **Name (नाम):** नियामत(b) **Father's Name (पिताका नाम):** इस्माईल(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1980(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव मुंढेता जिला नुह, PINANGWA, NUH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव मुंढेता जिला नुह, PINANGWA, NUH, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9588108022

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	SI धर्मेन्द्र ईन्चार्ज			1. पुलिस चौकी आकेडा जिला नुह, NUH, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा, मैं प्रबन्धक अफसर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम। श्रीमान जी, निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री नियामत पुत्र इस्माईल निवासी गांव मुंढेता, थाना पिनांगवा, जिला नूह मेवात द्वारा SI धर्मेन्द्र ईन्चार्ज पुलिस चौकी आकेडा जिला मेवात के विरुद्ध बाबत मांगने रिश्त दी गई एक शिकायत कार्यालय अति. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह.) पंचकुला के पत्र क्रमांक 8725/ शिकायत/563/ जी जी.एम /2024-15/2025 दिनांक 15.5.2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही के लिये मुझे प्राप्त हुई हैं। शिकायत का सार इस प्रकार से है "सेवा में श्रीमान डी.जी. साहब महोदय, हरियाणा पुलिस। विषय:- रिश्त खोर पुलिस अधिकारी के खिलाफ कारवाई के संबंध में प्रार्थना पत्र- हेतु। श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह की मैं नियामत पुत्र इस्माईल फोन नंबर 9588108022 गांव मुंदेता थाना पिनांगवा जिला नूह मेवात का स्थाई निवासी हूँ। मैं पढाई लिखाई और समाज-सुधार पर ध्यान देता हूँ और रिश्त खोर अधिकारियों की सूचना ACB TEAM को देता हूँ और कुछ रिश्त खोर अधिकारियों को मैं ACB team को पकड़वा चुका हूँ जी। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना कि मैंने दिनांक 06.12.2024 को Head Quarter के toll free number पर एक रिश्त से जुड़ा मामला दर्ज कराया था। जिसमें ACB टीम ने सबूत व मेरे से पुछताछ करने के बाद मेरे साथ फरीदाबाद ACB टीम रंग हाथ गिरफ्तारी हेतु रेड पर आकेडा चौकी आए हुए थी और चौकी इंचार्ज धर्मेन्द्र चौकी पर ही पैसे लेने के लिए तैयार था। जैसे जैसे टीम ने अपना प्लान तैयार किया तो चौकी पर ही UP POLICE किसी चौकी एरिया के काम से चौकी पर आ गए और चौकी इंचार्ज धर्मेन्द्र UP POLICE की बातों में BUSY हो गया था और UP POLICE एरिया में चौकी इंचार्ज को साथ ले गए। जैसे चौकी इंचार्ज धर्मेन्द्र UP POLICE के साथ एरिया में किसी काम से गया तो उन्हें किसी से सूचना मिली कि ACB टीम चौकी के पास खड़ी हुई है और किसी को उठा सकती है। फिर तुरत चौकी इंचार्ज धर्मेन्द्र रफू चक्कर हो गया और फिर चौकी पर वापिस नहीं लौटा और चौकी पुलिस भी ALERT MODE पर हो गए। जिसके कारण रंगे हाथों गिरफ्तारी नहीं हुए और फिर वो समझ गया कि नियामत ऊर्फ बादशाह ने मेरी शिकायत ACB टीम को दे दी है। और उसने तभी से मेरे व्हाट्सप्प नंबर BLOCK कर दिए और अपना MOBILE फोन भी SWITCH OFF कर लिया। अतः साहब से प्रार्थना यह की मेरे पास SUB INSPECTOR धर्मेन्द्र का पूरा रिश्त लेने का FULL AVIDNCE है। जो मैंने PAN DRIVE में डाल रखी रिकॉर्डिंग हैं। जिनको मैं पेश कर दूंगा जी। और ASI अशोक भी पैसे आकेडा चौकी पर Duty दे रहा है। जबकि धर्मेन्द्र si आकेडा चौकी से Transfer हो कर थाना फिरोजपुर jhirkha duty दे रहा है। साहब से निवेदन यह की ऐसे रिश्त खोर पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करवाया जाए और इन पर उचित कारवाई के दिशा निर्देश ACB टीम के किसी उच्च अधिकारी को दे। क्योंकि मैंने एस पी कार्यालय में भी शिकायत दी है जिसमें धर्मेन्द्र si के दबाव से कोई कारवाई नहीं की और मैं इस मामले सभी अधिकारियों से मिल लिया लेकिन रिश्त खोर पुलिस अधिकारी सबूत होने के बावजूद भी खुलेआम रिश्त ले रहा है और मुझे लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दे रहा है। साहब जी मुझे केवल आप पर ही आखिरी विश्वास है कि आप रिश्त खोर पुलिस अधिकारी पर सबसे सख्त कारवाई करोगे और इसकी जाच किसी विजिलेंस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को देगे जी। कृपया करके साहब जी मेरी शिकायत पर सख्त से सख्त कारवाई की जाए आपकी अति कृपया होगी जी धन्यवाद सर, हस्ताक्षर अंग्रेजी नियामत पुत्र इस्माईल गांव मुंदेता थाना पिनांगवा फोन नम्बर 9588108022" उपरोक्त शिकायत बारे विश्लेषण के दौरान शिकायतकर्ता नियामत के कथन व शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतकर्ता व आरोपी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र तत्कालिन चौकी ईन्चार्ज आकेडा के बीच हुई रिश्त लेन-देन से सम्बन्धित हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पैन ड्राइव व बातचीत का हिन्दी अनुवाद टाईपशुद्धा के अध्ययन से आरोपी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र तत्कालिन चौकी ईन्चार्ज आकेडा जिला नूह द्वारा रिश्त की माग करने बारे साक्ष्य प्राप्त होने पर अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम 1988 का किया जाना पाया गया है। घटनास्थल पुलिस चौकी आकेडा जिला नूह का होना पाया गया है। उपरोक्त शिकायत पर लेख अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाने के लिये हवाले मुख्य सिपाही युधवीर नं० 1753/ सोनीपत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजा जा रहा है। लेख पर अभियोग पंजीकृत करके आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाये। स्पेशल रिपोर्ट उचित माध्यम से ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जाये। स्थान :- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद । दीपक कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद। दिनांक 02.07.2025 समय 06.00 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब नुह भेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले HC युधवीर न0 1753/सोनीपत के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 जाकीर हुसैन के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): jakir Rank (पद): I (Inspector)
hussain

No. (सं.): 1261 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

